

7

पत्रांक-3/एल-2-32/2019

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

डा0 मो0 सालिक आजम,  
चिकित्सा पदाधिकारी,  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैसा, पूर्णियाँ ।

पटना, दिनांक :

विषय: दिनांक 04.07.2019 से 25.08.2019 तक हज यात्रा-2019(सउदी अरब) हेतु जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक 25.06.2019 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 04.07.2019 से 25.08.2019 तक हज यात्रा-2019(सउदी अरब) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे ।
- 7) डा0 मो0 सालिक आजम मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को हज यात्रा-2019(सउदी अरब) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- 8) उपार्जित अवकाश संचित हो ताकि अवकाश का सामंजन हो सके ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक :

771(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक :

11/7/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैद्यकीय) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, पूर्णियाँ/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैसा, पूर्णियाँ /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव